रिपोर्टकरने योग्य

भारत के उच्चतम न्यायालय में

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 1904/2014

रूपवंती अपीलकर्ता (एस)

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादि (एस)

फैसला

कृष्णा मुरारी, जज

1. यह अपील आपराधिक अपील संख्या 43/एम ए/2012, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.01.2013 को पारित निर्णय और अंतिम आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जहां प्रतिवादी नं. 2 से 6 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

   तथ्य

2. संक्षेप में, वर्तमान अपील से संबंधित तथ्य यह है कि इसमें प्रतिवादी नं. 2 से 6 ने, अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए, 22 दिंसबर 2009 को 1 मृतक पर हमला किया । इसके बाद मृतक को अस्पताल ले जाया गया जहां अगले दिन 23 दिसम्बर, 2009 को उसकी मृत्यु हो गई।

3. कथित घटना की एक एफ आई आर 22 दिसम्बर, 2009 को पुलिस स्टेशन करनाल शहर में दर्ज की गई थी, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 149, 323, 324, 307, 302 और 506 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ एफ आई आर संख्या 905 के रूप में दर्ज की गई थी, और पुलिस ने जांच शुरू की थी।

4. अन्वेषण पूरा होने पर, न्यायालय में एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मामला विचारण के लिए सक्षम न्यायालय को सौंप दिया गया । प्रतिवादियों पर दिनांक 17.05.2010 के आदेश द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके लिए उन्होंने खुद को निर्दोष बताया और पूर्ण सूनवाई की मांग की। सबूतों के मूल्यांकन के बाद, विचारण न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के मामले को

संदिग्ध पाया जिसके परिणामस्वरूप अंततः 18 अक्तूबर, 2011 के आदेश द्वारा सभी प्रतिवादियों को बरी कर दिया गया।

5. यहां अपीलकर्ता ने निचली अदालत के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर एक आपराधिक अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.01.2013 के आक्षेपित आदेश द्वारा अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि निचली अदालत द्वारा बरी किए जाने का निर्णय साक्ष्यों और तथ्यों के उचित मूल्यांकन पर आधारित था और इसमें कोई त्रुटि नहीं थी। व्यथित, अपीलार्थी ने यह अपील की है।

<u>विश्लेषण</u>

6. यहां प्रतिवादियों को दोषमुक्त करने के अपनी तर्क में, विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्षों में अभिनिर्धारित किया कि कोई भी चश्मदीद गवाह अभियोजन के मामले का समर्थन करने में सक्षम नहीं था। अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता, जो मृतक की मां है, ने पी डब्लू 1 की तुलना में घटनाओं का पूरी तरह से अलग वर्णन दिया । ट्रायल जज ने यह भी कहा कि अपराध स्थल पर अपीलकर्ता की उपस्थिति भी साबित नहीं हुई थी, और क्योंकि वह मृतक की मां थी, इसलिए, एक इच्छुक गवाह और उसके साक्ष्य विश्वसनीय नहीं थे। यह भी पाया गया कि फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार, बरामद किए गए हथियारों पर एक लाठी पर रक्त के निशान के अलावा कोई रक्त मौजूद नहीं था, और यहां तक कि इसे मृतक के रक्त से नहीं जोड़ा जा सकता था।

7. ऐसे मामलों में जहां दोषमुक्ति को पलटने की मांग की जाती है, न्यायालयों को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में निर्दोषिता की उपधारणा, पूर्ण विचारण की कठोरता से बचने के आधार पर मजबूत और सुदृढ़ हैं। अभियोजन तब जबकि अभी भी सबूत के एक हीं बोझ के तहत काम कर रहा है (मासूमियत के दृढ़ अनुमान) को रद्ध करने और उलटने के लिए एक अधिक कठिन जिम्मेदारी का निर्वहन करने की आवश्यकता है। निर्दोषिता की धारणा की यह पुष्टि इस अदालत के कई फैसलों में की गई है।

8. अल्लारखा के. मंसूरी बनाम गुजरात[1] राज्य वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि दो मत संभव होने पर दोषमुक्ति को पलटने के मामलों में ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। सुविधा के लिए, निर्णय का प्रासंगिक पैरा यहां प्रस्तुत किया जा रहा है :

> "बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के बारे में कानून की स्थापित स्थिति यह है कि हालांकि उच्च न्यायालय के पास उन सबूतों की समीक्षा करने की पूरी शक्ति है, जिन पर बरी करने का आदेश आधारित है, यह बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि आरोपी के पक्ष में निर्दोषिता की धारण को बरी करने का आदेश पारित करने के साथ मजबूत होता है। उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा किए गए तथ्यों के निष्कर्ष को परेशान करने में धीमा होना चाहिए। आपराधिक मामले में 'न्याय प्रशासन के माध्यम ' से एक सुनहरा धागा यह है कि यदि, मामले में दिए गए साक्ष्य पर दो विचार संभव है, एक अभियुक्त के अपराध की ओर ईंगित करता है और दूसरा उसकी निर्दोषिता की ओर दूसरा मासूमियत की ओर ईंगित करता है, तो ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, जो अभियुक्त के अनुकूल हो।"

9. इसके अलावा, सुमन चंद्रा बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो[2] के मामले में, जिसमें अभियुक्त की दोषमुक्ति को चुनौती दी गई थी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि निचली अदालत का आदेश न केवल दोषमुक्ति को पलटने की अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए न केवल गलत होना चाहिए बल्कि अनुचित और विकृत भी होना चाहिए। फैसले का प्रासंगिक पैरा यहां उद्धत किया जा रहा है:–

> "यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि दोषमुक्ति का पलटना केवल तभी अनुज्ञेय है निचली अदालत का दृष्टिकोण ने केवल गलत है, बल्कि अनुचित और विकृत भी है।" हमारी सुविचारित राय में, ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण था, जो न तो विकृत था और नहीं अनुचित था, और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितयों में, उच्च न्यायालय द्वारा इसे पलटा या हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए था।"

1.2002(1) आर सी आर (क्रीमिनल) 748

2. क्रीमीनल अपील नं. 1645 ऑफ 2021

10. इसी तरह मृणाल दास और अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य[3] वाले मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप केवल तभी किया जा सकता है जब निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित हो और दोषमुक्ति को पलटने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ को यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

> "बरी करने के आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जाना चाहिए जब ऐसा करने के लिए "बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हो" । यदि आदेश स्पष्ट रूप से अनुचित है, तो यह हस्तक्षेप का एक बाध्यकारी कारण है। जब निचली अदालत ने सबूतों को नजरअंदाज कर दिया हो या साक्ष्यों को गलत पढ़ा हो या उसने बैलिस्टिक विशेषज्ञों के अंतिम बयान/रिपोर्ट आदि जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया हो तो अपीलीय अदालत दी गई सामग्री के आधार पर निचली अदालत के फैसले को पलट सकती है।"

निष्कर्ष

11. जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों से देखा जा सकता है, संरक्षण की एक अतिरिक्त परत उन मामलों में अभियुक्त को प्रदान की जाती है जहां अभियुक्त पहले से ही दोषमुक्ति का आनंद लेता है। वर्तमान मामले में हम उच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं । निचली अदालत के फैसले के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि निचली अदालत द्वारा अपने निष्कार्ष पर पहुंचने के दौरान कोई विकृति नहीं की गई है, रिकार्ड में मौजूद सभी सबूतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया है और निष्कर्ष पर पहुचने के लिए विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

12. ऐसी परिस्थिति में, हम विचारण न्यायालय के साथ –साथ उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते , परिणामस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

.....जज
(कृष्णा मुरारी)

.....जज
(बी.वी .नागारत्ना)

नई दिल्ली :
24 फरवरी, 2023

. अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Translated by Kusumlata Revisor. Typed by Neeraj Kumar Mishra,Senior Assistant.

3.2011(9) एस सी सी 479